



179



18201-

**न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट
कोर्ट रीवा (म०प्र०)**

R. 5100-दे/15

453
9.8.15

- 1- रामसुजान दुबे तनय रामसनेही दुबे निवासी ग्राम-जिउला, तहसील-रायपुर कर्चु०, जिला-रीवा म०प्र०
- 2- मुद्रिका प्रसाद गौतम तनय रामखेलावन गौतम निवासी ग्राम-जिउला, तहसील-रायपुर कर्चु०, जिला-रीवा म०प्र०

-----आवेदकगण

बनाम

स्टेट आफ म०प्र० द्वारा तहसीलदार साहब तहसील-हुजूर, जिला-रीवा म०प्र०

-----अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार साहब हुजूर जिला रीवा म०प्र० द्वारा प्रकरण क्रमांक- 06/अ-12/14-15 में पारित दिांक 07-09-15 जिसमें सीमांकन कार्यवाही दिनांक 16-06-15 एवं 17-06-15 की पुष्टि की गई है।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 ई०

श्री. राजनेश मिश्रा
द्वारा आज दिनांक 9-10-15
प्रस्तुत किया गया।

सीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

निगरानी प्रकरण के आधार निम्न है:-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुजूर द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 07-09-15 विधि, प्रक्रिया एवं प्रकरण में उपलब्ध रिकार्डों एवं साक्ष्यों तथा सीमांकन हेतु बनाये गये प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

R5100-115-रीवा

रामसुजावन दुके / म.प्र. शासन

M.P

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आमभाविका आदि के हस्ताक्षर
17/5/17	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री. राम नरेश- मिठा उपस्थित लोक नियंत्रण विभा है कि वह प्रकला को आवे वही-व्यापार चाहते हैं। शर: प्रकला व चलायेके काला इन्की लसपल समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>	<p>Non Procs [Signature] 17/5/17</p>

✓